

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, च०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- २०३८/११-सी-FP/UP/Trans/140402/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी ०६ २०२२

संख्या में

मुख्य घन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

**विषयः—**

जनपद-सोनगढ़ के रेनकूट यन प्रभाग के अंतर्गत में। हिण्डलाको इण्डर्स्ट्रीज लि। रेनकूट को 132 के बीमा विद्युत पारिषण लाइन के खम्मे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 है। आरक्षित यनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

古文真讀

आपवा पत्रांक-2942 / मीठो / 33, दिनांक 31.12.2021

九月六日

उपरोक्त रांदर्भित पत्र के द्वारा विश्वयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन घ हाउकापी में गिम्लिखित कमियों/अभिलेखों चर्चा आगाय पाया गया-

- प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित बनमूर्मि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है।
  - प्रस्ताव में प्रस्तावित बनमूर्मि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे दौने (आँखधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 दर्घों का अनुच्छरण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।
  - प्रस्ताव में संलग्न किया गया क्षतिपूरक बनीकरण हेतु चयनित रथल का 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है। अतः पठनीय व पूर्ण साइज का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर औनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
  - गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु रथल घिन्हित नहीं है।
  - आँगलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की घनराशि गलत फीड है। अतः सही घनराशि औनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में फीड करें।
  - तीनों प्रस्तावों के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग-अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे पेन ड्राइव से डिलिट कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित रथल की केमेम०एल० फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियों प्राप्त कराकर, इमेति कार्यियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यपादी की जा सके।

મહારાજ

18

(अनुपम गुप्ता)  
संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- ३०३८/११-सी-FP/UP/Trans/140402/2021, दिनांकित।

**प्रतिविधि**— निम्नलिखित अधिकारियों को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
  - श्री विष्णु कमार डेवल लीगल एवं हिपालवो इफ

पडांड - ३१०.६ श्री.क्ष.१८३९८४, जन०७/०७, २०२२

सरिलिपि - यलावतीय ज्ञानियकारी, रेतुकुड का मुख्य गवान् एवं कुटी आश्रम से प्रविष्ट होकर ३५२०७८  
ज्येष्ठा का निश्चकरण कर अप्रत्याहारी ऐप्रत्याहार-  
३५२०८० वर्ष के ११-१२ अक्टूबर महीने.

मुख्य वन संदर्भक  
जीर्णायुक्तोड, मीर्जापुर

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
फॉस्ट्रो, लखनऊ  
**अग्रसेता**  
**०७/११/२२**  
(प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर